

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या  
4/2024

तारीख रजू  
20.5.2024

तारीख फैसला  
24.3.26

समयराज सिंह पुत्र श्री कृष्ण, उम 45 साल, जाति गुर्जर, निवासी सीतौड़,  
तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सीतौड़, तहसील बामनवास,
2. विश्राम पुत्र श्री कृष्ण, उम 62 साल,
3. बृजलाल पुत्र श्री कृष्ण, उम 58 साल,
4. सुमीव पुत्र श्री कृष्ण, उम 50 साल,
5. रामेश्वरी पुत्री श्री कृष्ण, उम 64 साल,
6. लछमा पुत्री श्री कृष्ण, उम 56 साल,
7. सुगर पुत्री श्री कृष्ण, उम 54 साल,

सभी जाति गुर्जर, निवासी  
सीतौड़, तहसील बामनवास,  
जिला सवाई माधोपुर  
(राजस्थान)

प्रत्यर्थागण

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.7.2008


बसिलसिले नामान्तकरण संख्या 107 ग्राम

पंचायत बड़ी झोंपड़ी (सीतौड़), तहसील बामनवास


निर्णय

दिनांक: 24.3.26

इस निर्णय द्वारा निस्तारित की जा रही अपील से सम्बन्धित प्रकरण के  
तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी समयराज सिंह द्वारा प्रत्यर्थागण के  
विरुद्ध एक अपील इन कथनों के साथ पेश की गई कि उसके पिता श्री कृष्ण पुत्र

  
उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (राजस्थान)

गोपी, जाति गुर्जर, निवासी सीतौड़, तहसील बामनवास के निघन के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तरण अपीलार्थी व उसके भाई विश्राम, बृजलाल, सुग्रीव तथा बहिन रामेश्वरी, लछमा, सुगर व पुस्वराज पुत्र गोपी के हक में तस्दीक किया गया। नामान्तरण भरते समय हल्का पटवारी ने गलती से अपीलार्थी का नाम समयराज सिंह के स्थान पर रमेश दर्ज कर दिया, जबकि अपीलार्थी का वास्तविक नाम समयराज सिंह है। अपीलार्थी को इस गलत इन्द्राज के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 20.3.2024 को नामान्तरण जमाबंदी की नकल निकलवाई, तब उक्त गलती की जानकारी हुई। अपीलार्थी के अनुसार निर्णय ग्राम पंचायत सीतौड़ बाबत नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 20.7.2008 गलत है, इसलिए उक्त नामान्तरण पुनः निर्णीत करने के लिए प्रकरण रिमाण्ड किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत सीतौड़ द्वारा बिना जांच किए नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जिसमें त्रुटिवश अपीलार्थी का नाम समयराज सिंह के स्थान पर रमेश अंकित कर दिया गया है। समस्त सरकारी दस्तावेजात में अपीलार्थी का नाम समयराज सिंह पुत्र श्री कृष्ण ही दर्ज है। इसलिए उक्त गलती को दुरुस्त करने के लिए नामान्तरण संख्या 107 को निरस्त किया जाकर पुनः निर्णीत करने के लिए रिमाण्ड किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी को नामान्तरण संख्या 107 में हुए गलत इन्द्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, अपीलार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 20.3.2024 को नामान्तरण की नकलें लेने से हुई। इसलिए उक्त गलती को दुरुस्त करने के

  
उप. प्र. 1 कलक्टर  
बामनवास (भंगपुर सि.सि.)


लिए नामान्तकरण संख्या 107 को निरस्त किया जाकर पुनः निर्णीत करने के लिए ग्राम पंचायत बड़ी झोंपड़ी, सीतौड़ को रिमाण्ड किया जावे। अपील अंदर मियाद पेश होना बताते हुए अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थागण को अपील के नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थागण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया, जिस पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए तथा तहसीलदार बामनवास से रिपोर्ट तलब की गई।

बहस अपील सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

बहस अपील सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।


बाद अवलोकन पत्रावली यह पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़ी झोंपड़ी (सीतौड़) द्वारा बिना किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाये मात्र पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तकरण संख्या 107 को सही होना मानकर नामान्तकरण को स्वीकार कर लिया गया तथा उसमें श्री कृष्ण की संतानें रमेश, विश्राम, बृजलाल, सुग्रीव, बहिन रामेश्वरी, लछमा व सुगर को होना मान लिया गया। अपीलार्थी द्वारा आक्षेप उठाया गया है कि नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 20.7.2008 बाबत ग्राम पंचायत सीतौड़ द्वारा पारित किया गया निर्णय गलत है, क्योंकि उसका (अपीलार्थी) नाम रमेश न होकर समयराज सिंह है। अपने तर्कों की पुष्टि में अपीलार्थी की ओर से हमारा ध्यान जनवरी 2025 को निकलवाई गई अध्यक्षता जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 बाबत नये खाता संख्या 387 (पुराना 283) एवं

  
उप. नि. कलक्टर  
बामनवास (गंगापुर सिद्धी)


नये खाता संख्या 137 (पुराना 133) की ओर व अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों - आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आई.डी., आयकर विभाग की ओर से जारी पेन कार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिका व प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व बैंक पास बुक - की ओर आकर्षित किया गया है, जिन सभी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किए जाने पर यह पाया जाता है कि श्री कृष्ण के रमेश नाम की कोई संतान नहीं थी तथा तहसीलदार बामनवास की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का घर का बोलता नाम रमेश था, सही नाम समयराज सिंह है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बड़ी झोंपड़ी (सीतौड़) द्वारा पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण के विवरण के आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 107 को तस्दीक कर दिया गया है, जो कि गलत है तथा खारिज किए जाने योग्य है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना व नामान्तकरण को ग्राम पंचायत बड़ी झोंपड़ी, सीतौड़ के समक्ष निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

#### आदेश


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बड़ी झोंपड़ी (सीतौड़) द्वारा दिनांक 20. 7.2008 को नामान्तकरण संख्या 107 में पारित आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विधिवत् सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत बड़ी झोंपड़ी, सीतौड़ के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पुनः मामले पर विचार

  
उप. पं. I कलक्टर  
बामनवास (गंगपुर तालुका)

कर जांच करें एवं प्रकरण से सम्बन्धित सभी हितबद्ध पक्षों को पुनः नोटिस प्रेषित कर सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का विधिवत् रूप से निस्तारण करें।

  
उप. जिला कलेक्टर  
बामनवास (सुनार वि. प्र.)  
(प्रियका कडेला)  
उप जिला कलेक्टर  
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 24.3.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप. जिला कलेक्टर  
बामनवास (सुनार वि. प्र.)  
(प्रियका कडेला)  
उप जिला कलेक्टर  
बामनवास